बिहार सरकार

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना – 800023

NATIONAL HEALTH MISSION

Email Id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.- 9470003586 Website - http://lnjporthohospital.org

पत्रांक :– 2249 /

प्रेषक,

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

सेवा में,

अवर सचिव,
प्रशाखा– 10,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना

दिनांक 29 / 05 / 2025ई0

विषय :– संस्थान के वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था (500 KVA जेनेरेटर) के संबंध में गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय को अनुमोदित करने के संबंध में।

प्रसंग :– लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को संबोधित निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना का पत्रांक – 2941 दिनांक 23.11.2024, जिसकी प्रति आपको भी इस कार्यालय के ज्ञापांक– 2941 दिनांक 23.11.2024 के द्वारा भेजी गई है।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, इस कार्यालय के प्रासंगिक ज्ञापांक– 2941 दिनांक 23.11.2024 का निदेश करने की कृपा की जाए। (छाया–प्रति संलग्न, संलग्नक–1)

(2) इस संबंध में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 44 दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुआ है। (छाया–प्रति संलग्न, संलग्नक–2)

(3) पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 2531 दिनांक 18.10.2024 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखकर इसी विषय से संबंधित बिन्दुओं पर नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन की मांग की गई थी। इस संबंध में अभी तक मार्गदर्शन वांछित है। (छाया–प्रति संलग्न, संलग्नक–3)

(4) उल्लेखनीय है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 2609 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से भी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखकर इसी विषय से संबंधित बिन्दुओं पर नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन की मांग की गई थी। इस संबंध में अभी तक मार्गदर्शन वांछित है। (छाया–प्रति संलग्न, संलग्नक–4)

(5) संबंधित संस्थान द्वारा अपने भुगतान के लिए बार–बार अनुरोध किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में वांछित मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा की जाए।

अनु : यथोक्त।

विश्वासभाजन

29-5-25

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

(संलग्नक - 1)

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना – 800023

बिहार सरकार

Email Id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.- 9470003586 Website - http://lnjporthohospital.org

पत्रांक :– 2941 /

प्रेषक,

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाशनारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

सेवा में,

लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 23 / 11 / 2024ई0

विषयः– **संस्थान के वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के संबंध में गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अनुमोदित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका निर्गत संख्या – 21611–11120 दिनांक 24.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या PR10570(HEALTH) 2022-23 के आलोक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में वाह्य श्रोत के आधार पर जेनेरेटर अधिष्ठापित करने के लिए एजेंसी के रूप में मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव का चयन किया गया था। इस कार्यालय के पत्रांक 161 दिनांक 31.01.2023 द्वारा इन्हें इस संस्थान के पुराने भवन में जिसकी भार क्षमता दिनांक 21.04.2020 को विधुत कनीय अभियंता, विधुत आपूर्त्ति प्रमंडल नूतन राजधानी पेसु (प0) पटना के द्वारा जाचोपरांत भार क्षमता 125 KVA बताई गई के विरूद्ध 125 KVA जेनेरेटर अधिष्ठापित करने हेतु कार्यादेश दिया गया, तब से ये अपना कार्य संपादित कर रहें हैं।

इस कार्यालय के पत्रांक 621 दिनांक 18.03.2024 के द्वारा तत्कालिन निदेशक, डा0 नरेन्द्र नारायण राय (इसके बाद डा0 राय के रूप में उल्लेखित) के द्वारा मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव को पुराने भवन से विधुत कनेक्शन हटाकर ट्रामा सेंटर में स्थानांतरण करने का आदेश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 759 दिनांक 06.04.2024 को भी मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव को डा0 राय के द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया। मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव के द्वारा दिनांक 30.03.2024, 12.04.2024, 04.05.2024 एवं 18.05. 2024 को आवेदन के माध्यम से उनके आदेश के अनुपालन मे असमर्थता व्यक्त की गई।

तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1178 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा डा0 राय के द्वारा मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव को एक सप्ताह के अंदर संस्थान से जेनेरेटर हटाने का आदेश दिया गया। इसी बीच डा0 राय के द्वारा इस संस्थान के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना एवं ट्रामा सेंटर में 500 KVA का वाह्य श्रोत से जेनेरेटर सुविधा जिसकी भार क्षमता विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्त्ति प्रमंडल नूतन राजधानी पेसु (प0) पटना के पत्रांक 55 दिनांक 04.11.2023 के द्वारा निर्धारित भार क्षमता 466 KVA निर्धारित है को उपलब्ध कराने हेतु एक विज्ञापन संख्या PR NO- 002399(Health) 2024-25 प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत चयनित संस्थान Beyond Authentic Hospitality को तत्कालीन निदेशक द्वारा दिनांक 30.07.2024 को एकरारनामा किया गया एवं इस कार्यालय के आदेश, पत्रांक 1762 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया।

23/11/24

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना – 800023
Email Id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.- 9470003586 Website - http://lnjporthohospital.org

डा० राय के उक्त निर्णय को मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव के द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के समक्ष परिवाद अनन्य संख्या 999940125062409060 दिनांक 25.06.2024 के अंतर्गत चुनौती दी गई। उक्त परिवाद में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 10.09.2024 को एक विनिश्चय पारित किया गया जिसके अंतर्गत निम्न आदेश दिए गए :–

"अतएव, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को निदेशित किया जाता है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जेनेरेटर परिचालन हेतु निर्गत निविदा के कंडिका (घ) (26) एवं (ग) (04) नियमानुसार अनुपालन कर रोगी/मरीजों के हित को देखते हुए एवं विधि – व्यवस्था को ध्यान में रखकर वर्त्तमान संस्था से कार्य सुविधा लें एवं संस्थान के अन्य भवन में विधुत आपूर्त्ति हेतु विधुत क्षमता अधिक होने पर समिक्षोपरांत निविदा निर्धारण समिति के सहमती उपरांत वर्त्तमान संस्था से कार्य लेने हेतु निर्णय लें ताकि रोगी/मरीजों को ससमय सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही उक्त परिवाद की सुनवाई के पुरे प्रकरण में उक्त संस्था द्वारा संस्थान को जेनेरेटर द्वारा विधुत आपूर्त्ति किया जाता रहा है, जिसका नियमानुसार भुगतान निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना अविलंब करना सुनिश्चित करेंगे।"

पुनः लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ने दिनांक 24.10.2024 को एक आदेश पारित किया जिसके अंतर्गत 10.09.2024 के विनिश्चय को अधिनियम की धारा – 7 (8) (f) के तहत पुनर्विलोकन (Review) करते हुए समाप्त कर दिया गया। पुनः लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को एक पत्र प्रेषित किया गया जिसके अंतर्गत मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव का सम्पुर्ण लंबित पत्रों का भुगतान करने का आदेश दिया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तत्कालीन निदेशक द्वारा प्रकाशित निविदा के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 2237 दिनांक 27.09.2024, पत्रांक 2531 दिनांक 18.10.2024 एवं 2609 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा मार्ग दर्शन की मांग की गयी। जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 2237 दिनांक 22.09.2024 के प्रसंग में एक पत्र पत्रांक 605(10) दिनांक 12.11.2024 प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि निविदा प्रकाशित करने से लेकर निविदा निष्पादन के लिए अधोहस्ताक्षरी स्वयं सक्षम प्राधिकार हैं और बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करने का निदेश है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामलें में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और विभाग के द्वारा भी अधोहस्ताक्षरी को ही इस मामले मे निर्णय लेने के लिए आदेश दिया गया है।

अतः प्रस्तुत मामले में न्यायोचित निर्णय लेने के लिए अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति का गठन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2848/दिनांक 18.11.2024 द्वारा किया गया। उक्त समिति की बैठक संस्थान के सभागार में दिनांक 19.11.2024 को अपराहन 12.30 बजे आहुत की गई जिसमें सर्वसम्मति निर्णय लिये गये।

"विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्त्ति प्रमंडल नूतन राजधानी पेसु (प०) पटना के पत्रांक 65 दिनांक 04.11.2023 के द्वारा संस्थान के पुराने भवन के लिए भार क्षमता 88.30 KVA एवं ट्रामा सेंटर के लिए भार क्षमता 466 KVA निर्धारित है, के अनुरूप कार्यहित, जनहित एवं प्राप्त विभागीय मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में तत्काल मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव को पुराने भवन के लिए 125 KVA जेनेरेटर के साथ यथावत काम करने दिया जाय और Beyond Authentic Hospitality को 500 KVA जेनेरेटर के साथ तत्कालिन निदेशक, डा० एन० एन० राय के द्वारा दिनांक 30.07.2024 को किये गए एकरारनामा एवं पत्रांक 1762 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा निर्गत कार्यादेश के आलोक में ट्रामा सेंटर में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाय। दोनों एजेंसियों से इस आशय का एक शपथ पत्र ले लिया जाय कि यदि भविष्य में

23/11/24

बिहार सरकार
Email Id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.- 9470003586 Website - http://lnjporthohospital.org

सरकार/विभाग या न्यायालय से कुछ भी अन्यथा आदेश प्राप्त होता है तो वे इसका अनुपालन करेंगे।" सुलभ संकेत हेतु बैठक में लिये गये निर्णय की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त के आलोक में भवदीय से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अनुमोदित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोपरोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाशनारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

ज्ञापांक :– 2941 / दिनांक:– 23/11/2024 ई0
प्रतिलिपि:– सरकार के अवर सचिव प्रशाखा 10 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उनके कार्यालय पत्रांक 605(10) दिनांक 12.11.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

23/11/24
निदेशक
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।
23/11/24

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना – 000023

Email Id – lnjphospital@gmail.com Ph. No. 0612-2200973, M.No. 9470003500 Website - http://lnjporthohospital.org

कार्यालय आदेश_ज्ञापांक 2040 दिनांक 10.11.2024 के द्वारा गठित समिति की दिनांक 19.11.2024 के बैठक की कार्यवाही –

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 2040 दिनांक 10.11.2024 के द्वारा गठित समिति की दिनांक 19.11.2024 को अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में इस कार्यालय के सभाकक्ष में एक बैठक आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

	हस्ताक्षर
1. डा0 शिवेन्द्र कुमार सिंह, परामर्शी, LNJP, पटना– सदस्य।	
2. डा0 सरसीज नयनम, रेजिडेंट, LNJP, पटना– सदस्य।	
3. डा0 शाश्वत कुमार, विशेषज्ञ चि0 पदा0, LNJP, पटना– सदस्य।	
4. डा0 शशि किशोर, विशेषज्ञ चि0 पदा0, LNJP, पटना– सदस्य।	
5. डा0 मनीष कुमार, चि0 पदा0, LNJP, पटना– सदस्य।	

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूकि विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमंडल नूतन राजधानी पेसु (प0) पटना के पत्रांक 55 दिनांक 04.11.2023 के द्वारा संस्थान के पुराने भवन के लिए भार क्षमता 89.30 KVA एवं ट्रामा सेंटर के लिए भार क्षमता 466 KVA निर्धारित है, के अनुरूप कार्यहित, जनहित एवं प्राप्त विभागीय मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में तत्काल मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव को पुराने भवन के लिए 125 KVA जेनेरेटर के साथ यथावत काम करने दिया जाय और Beyond Authentic Hospitality को 500 KVA जेनेरेटर के साथ ~~तत्कालिन निदेशक, डा0 एन0 एन0 राय के द्वारा दिनांक 30.07.2024 को किये गए एकरारनामा एवं पत्रांक [illegible]~~ दिनांक 31.07.2024 के द्वारा निर्गत कार्यादेश के आलोक में ट्रामा सेंटर में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाय। दोनों एजेंसियों से इस आशय का एक शपथ पत्र ले लिया जाय कि यदि भविष्य में सरकार/विभाग या न्यायालय से कुछ भी अन्यथा आदेश प्राप्त होता है तो वे इसका अनुपालन करेंगे।

निदेशक
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

ज्ञापांक 2858 दिनांक 19/11/2024
प्रतिलिपि (1) मो0 मोजिबुर रहमान, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को उनके पत्रांक 605(10) दिनांक 12.11.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
(2) Beyond Authentic Hospitality/सुधीर कुमार श्रीवास्तव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। Beyond Authentic Hospitality को निदेशित है कि वे उपरोक्त आशय का शपथ पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात कार्य प्रारंभ कर सकतें हैं। मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव को आदेशित है कि इस कार्यवाही के निर्गत कि तिथि से तीन कार्यदिवस के अंदर उपरोक्त आशय का शपथ पत्र कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

115

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना – 800023

Email Id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2200073, M.No.- 9470003500 Website - http://lnjporthohospital.org

आदेश

ज्ञापांक...2591-8..../

दिनांक..18.../...11.../2024ई0

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या PR10570(HEALTH) 2022-23 के आलोक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में वाह्य श्रोत के आधार पर जेनेरेटर अधिष्ठापित करने के लिए एजेंसी के रूप में मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव का चयन किया गया था। इस कार्यालय के पत्रांक 161 दिनाक 31 01.2023 द्वारा इन्हें इस संस्थान के पुराने भवन में जिसकी भार क्षमता दिनांक 21.04.2020 को विधुत कनीय अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमंडल नूतन राजधानी पेसु (प0) पटना के द्वारा जाचोपरांत भार क्षमता 125 KVA बताई गई के विरूद्ध 125 KVA जेनेरेटर अधिष्ठापित करने हेतु कार्यादेश दिया गया, तब से ये अपना कार्य संपादित कर रहें हैं।

इस कार्यालय के पत्रांक 621 दिनांक 18.03.2024 के द्वारा तत्कालिन निदेशक, डा0 नरेन्द्र नारायण राय (इसके बाद डा0 राय के रूप में उल्लेखित) के द्वारा मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव को पुराने भवन से विधुत कनेक्शन हटाकर ट्रामा सेंटर में स्थानांतरण करने का आदेश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 759 दिनांक 06.04.2024 को भी मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव को डा0 राय के द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया। मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव के द्वारा दिनांक 30.03.2024, 12.04.2024, 04.05.2024 एवं 18.05.2024 को आवेदन के माध्यम से उनके आदेश के अनुपालन मे असमर्थता व्यक्त की गई।

तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1178 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा डा0 राय के द्वारा मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव को एक सप्ताह के अंदर संस्थान से जेनेरेटर हटाने का आदेश दिया गया। इसी बीच डा0 राय के द्वारा इस संस्थान के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना एवं ट्रामा सेंटर में 500 KVA का वाह्य श्रोत से जेनेरेटर सुविधा जिसकी भार क्षमता विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्त्ति प्रमंडल नूतन राजधानी पेसु (प0) पटना के पत्रांक 55 दिनांक 04.11.2023 के द्वारा निर्धारित भार क्षमता 466 KVA निर्धारित है को उपलब्ध कराने हेतु एक विज्ञापन संख्या PR NO- 002399(Health) 2024-25 प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत चयनित संस्थान Beyond Authentic Hospitality को तत्कालीन निदेशक द्वारा दिनांक 30.07.2024 को एकरारनामा किया गया एवं इस कार्यालय के आदेश, पत्रांक 1762 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया।

डा0 राय के उक्त निर्णय को मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव के द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के समक्ष परिवाद अनन्य संख्या 999940125062409060 दिनांक 25.06.2024 के अंतर्गत चुनौती दी गई। उक्त परियाद में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 10.09.2024 को एक विनिश्चय पारित किया गया जिसके अंतर्गत निम्न आदेश दिए गए :–

"अतएव, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को निदेशित किया जाता है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जेनेरेटर परिचालन हेतु निर्गत निविदा के कंडिका (घ) (26) एवं (ग) (04) नियमानुसार अनुपालन कर रोगी/मरीजों के हित को देखते हुए एवं विधि – व्यवस्था को ध्यान में रखकर वर्तमान संस्था से कार्य सुविधा लें एवं संस्थान के अन्य भवन में विधुत आपूर्त्ति हेतु विधुत क्षमता अधिक होने पर समिक्षोपरांत निविदा निर्धारण समिति के सहमती उपरांत वर्तमान संस्था से कार्य लेने हेतु निर्णय लें ताकि रोगी/मरीजों को समय सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही उक्त परिवाद की सुनवाई के पुरे प्रकरण में उक्त संस्था द्वारा संस्थान को जेनेरेटर द्वारा विधुत आपूर्त्ति किया जाता रहा है, जिसका नियमानुसार भुगतान निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना अविलंब करना सुनिश्चित करेंगे।"

18-11-24

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना – 800023

Email Id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No.-0612-2200973, M.No.- 9470003560 Website - http://lnjpnorthohospital.org

144-

पुनः लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ने दिनांक 24.10.2024 को एक आदेश पारित किया जिसके अंतर्गत 10.09.2024 के विनिश्चय को रद्द कर दिया गया। पुनः लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को एक पत्र प्रेषित किया गया जिसके अंतर्गत मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव का सम्पुर्ण लंबित पत्रों का भुगतान करने का आदेश दिया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तत्कालीन निदेशक द्वारा प्रकाशित निविदा के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 2237 दिनांक 27.09.2024, पत्रांक 2531 दिनांक 18.10.2024 एवं 2609 दिनांक 24.10 2024 के द्वारा मार्ग दर्शन की मांग की गयी। जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 2237 दिनांक 22.09.2024 के प्रसंग में एक पत्र पत्रांक 605(10) दिनांक 12.11.2024 प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि निविदा प्रकाशित करने से लेकर निविदा निष्पादन के लिए अधोहस्ताक्षरी स्वयं सक्षम प्राधिकार हैं और बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करने का निदेश है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामलें में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और विभाग के द्वारा भी अधोहस्ताक्षरी को ही इस मामले मे निर्णय लेने के लिए आदेश दिया गया है।

अतः प्रस्तुत मामले में न्यायोचित निर्णय लेने के लिए अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति गठित की जाती है :–

1. डा0 शिवेन्द्र कुमार सिंह, परामर्शी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना– सदस्य
2. डा0 सरसीज नयनम, रेजिडेंट, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना– सदस्य
3. डा0 शाश्वत कुमार, विशेषज्ञ चि0 पदा0, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना– सदस्य।
4. डा0 शवित्त किशोर, विशेषज्ञ चि0 पदा0, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना– सदस्य।
5. डा0 मनीष कुमार, चि0 पदा0, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना– सदस्य।

उक्त समिति की बैठक संस्थान के सभागार में दिनांक 19.11.2024 को अपराह्न 12.30 बजे आहुत की जाती है जिसमें नामित सभी सदस्य अपनी उपस्थिति ससमय सुनिश्चित करेंगे।

Sd/- 18-11-24
निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।
18-11-24

ज्ञापांक 2848 दिनांक 18/11/2024ई0
प्रतिलिपि :– डा0 शिवेन्द्र कुमार सिंह, परामर्शी / डा0 सरसीज नयनम, रेजिडेंट / डा0 शाश्वत कुमार, विशेषज्ञ चि0 पदा0 / डा0 शवित किशोर, विशेषज्ञ चि0 पदा0 / डा0 मनीष कुमार, चि0 पदा0 / लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Sd/- 18-11-24
निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।
18-11-24

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
कार्यालय कनीय विद्युत अभियंता
विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, पोर्ट कॉलोनी, पेसु (प०), पटना-23

पत्रांक- 55/

दिनांक 04/11/2023

सेवा में,

विद्युत कार्यपालक अभियंता
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल राजधानी, पेसु (प०) पटना।

द्वारा- उचित माध्यम

विषय- लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना का विद्युत भार (Load) के निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवदीय निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना के पत्रांक 1721 दिनांक 01.09.2023 के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना का विद्युत भार (Load) का निर्धारण करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के आलोक में स्वयं के द्वारा परिसर में लगे विद्युत उपकरण की भार गणना किया गया। जिसकी गणना प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

अनुलग्नकः

गणना प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर)
04/11/2023
कनीय विद्युत अभियंता
विद्युत आपूर्ति, प्रशाखा
पोर्ट कॉलोनी पेसु (प०),पटना।

(हस्तलिखित) 06-11-2023

Load Calculation of L.N.J.P. Hospital

1. Old Bhawan of L.N.J.P. Hospital.
   C.A. 101355196
   PF- 0.99
   Total Load in kw - 88.30 kw
   Total Load in KVA= 88.30 KVA
2. Trauma Center
   C.A. 102488196
   PF- 0.80
   Total Load in kw= 373 kw
   Total Load in KVA= 466 KVA
3. Oxygen Plant
   C.A. 108334577
   PF- 0.83
   Total Load in kw= 100 kw.
   Total Load in KVA= 120 KVA

(संलग्नक - 2)

कार्यालय, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय पता:- प्रथम तल्ला,विकास भवन, नया सचिवालय,पुनाईचक, बेली रोड-पटना- 800015

E-Mail ID- healthpgro@gmail.com

पत्रांकः- 44 दिनांकः- 15|04|2025

प्रेषक,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

विषय- लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के संबंध में गठित संस्थान समिति द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में।

प्रसंग- निदेशक, लोकनायक जयप्रकाशनारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना का पत्रांक-2941, दिनांक- 23.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक शिकयत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 के तहत मेसर्स सुधीर कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर परिवाद पर इस कार्यालय के निर्गत संख्या-21611-11120, दिनांक-24.10.2024 एवं स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 605(10), दिनांक-12.11.2024, जिसमें उल्लेखित है कि निविदा प्रकाशित करने से लेकर निविदा निष्पादन के लिये निदेशक स्वयं सक्षम प्राधिकार है और बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाई करें।

उपरोक्त विनिश्चय एवं पत्र के आलोक में पत्रांक-2848, दिनांक-18.11.2024 द्वारा आपके अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति का गठन कर दिनांक- 19.11.2024 को सर्वसम्मति से जनहित में यथोचित निर्णय लिया गया है, जिसे जनहित में मरीजों की समुचित सुविधाओं को ध्यान में रखकर अनुमोदित किया जाता है। साथ ही निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर को निदेशित है कि भविष्य में स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना/ माननीय न्यायालय से उपरोक्त के संबंध में अन्यथा अन्य कोई आदेश आपको प्राप्त हो, तो उसका आप अविलंब नियमानुसार अनुपालन करेंगे।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। 15/4

(संलग्नक -3)

159

बिहार सरकार

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना – 800023

Email Id – lnjnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280073, M.No.- 9470003600 Website - http://lnjporthohospital.org

पत्रांकः– 2531 /

प्रेषक,

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांकः– 18 / 10 / 2024ई0

विषयः– तत्कालीन निदेशक, डा0 एन0एन0 राय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के द्वारा जेनेरेटर की त्रुटिपूर्ण निविदा प्रक्रिया करने के संबंध में।

प्रसंगः– अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2237 दिनांक 21.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त पत्र के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में मे0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव बनाम निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना वाद में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के दिनांक 25.06.2024 के विनिश्चय (छाया–प्रति संलग्न) को, डा0 एन0एन0 राय, तत्कालीन निदेशक के द्वारा जेनेरेटर के लिए स्वच्छ निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न परिस्थिति में लागू करने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है जो अब तक अप्राप्त है।

उक्त प्रासंगिक पत्र की कंडिका–13 (कृप्या अवलोकन किया जाय) में डा0 [illegible] द्वारा की गई उपरोक्त निविदा प्रक्रिया की त्रूटियों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इस बीच संबधित अभिलेखों के परीक्षण से उक्त निविदा प्रक्रिया में कतिपय अन्य त्रूटियां भी अवलोकित हुई है जो निम्नलिखित हैः–

(1) तकनीकि निविदा में BEYOND AUTHENTIC HOSPITALITY, 502, Majestic Triveni Apartment, Vijay Nagar, Patna-800014 (चयनित संस्था) के द्वारा विद्युत ठेकेदार का प्रोपराइटर के नाम से निर्गत अनुज्ञा प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

(2) BAH के द्वारा आवासीय प्रमाण–पत्र के स्थान पर किरायानामा दिया गया है।

(3) शपथ–पत्र के लिए निविदा शर्त्त के अनुरूप प्रपत्र के स्थान पर दुसरे प्रपत्र प्रारूप का उपयोग किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होने पर वही निविदा चयन समिति की बैठक दिनांक 18.10.2024 को आहूत की गई जिसके द्वारा तकनीकि निविदा अनुमोदित किया गया था। समिति के समक्ष उपरोक्त त्रूटियों एवं उनसे संबंधित अभिलेखों को अवलोकनार्थ रखा गया। सभी अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात समिति के द्वारा भी डा0 राय के द्वारा की गई निविदा प्रक्रिया में उपरोक्त त्रूटियों की पुष्टि की गई। (निविदा चयन समिति की बैठक की कार्यवाही की छाया–प्रति संलग्न)

डा0 राय के द्वारा निविदा प्रक्रिया में निविदा शर्त्तों के प्रतिकूल निविदा अनुमोदित करने में संज्ञान में आई उपरोक्त त्रूटियों/अनियमितताओं को प्रासंगिक पत्र की कंडिका–13 के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के रूप में लेते हुए नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु मार्गदर्शन देने की कृपा की जाय।

अनुः यथोक्त

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 18/10/24

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

18/10/24

(संलग्नक -4)

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना– 800023

Email id –lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280813, M.No -9470003888 Website - http://lnjporthohospital.org

पत्रांक– / 2609 .

प्रेषक,

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांकः– 24/10/2024ई0

विषयः– तत्कालीन निदेशक, डा0 एन0एन0 राय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के द्वारा जेनेरेटर हेतु की गई निविदा में त्रूटियों के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 2531 दिनांक 18.10.2024 एवं 2237 दिनांक 21.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में वाह्यश्रोत के आधार पर जेनेरेटर प्राप्त करने के लिए निकाली गई निविदा की प्रक्रिया में उनके द्वारा निविदा शर्त्तो की अवहेलना एवं कतिपय अन्य त्रूटियों के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। संबंधित अभिलेखों के पुनः सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत कतिपय अन्य त्रूटियां संज्ञान में आई है जो निविदाकर्त्ता के द्वारा निविदा शर्त्तो की अवहेलना करने के बावजूद उनके पक्ष में निविदा चयन के निर्णय को स्पष्ट करता है।

अभिलेखों के अवलोकन से निविदा प्रक्रिया में निम्नलिखित निविदा शर्त्तो की अवहेलना स्पष्ट होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि डा0 राय के द्वारा इस हद तक निविदा शर्त्त एवं नियमों की अवहेलना की गई :–

(1) तत्कालीन निदेशक, डा0 एन0एन0 राय के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 1569 दिनांक 13.07.2024(संलग्नक 1) के द्वारा श्री गोपाल कृष्ण, विधि परामर्शी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को एक पत्र लिखा गया जिसके अंतर्गत उनके द्वारा विधि परामर्शी से इस संस्थान में वाह्यश्रोत से 500KVA का जेनेरेटर प्राप्त करने में उत्पन्न कठिनाईयों के संदर्भ में विधि सम्मत परामर्श की मांग की गई।

तत्पश्चात डा0 राय, जो उक्त अवधि में निदेशक प्रमुख (प्रशासन) के पद पर भी कार्यरत थे, ने विधि परामर्शी स्वास्थ्य विभाग से एक पीत–पत्र (निर्गतांक 44 (नि0प्र0प्र0 कोषांग) दिनांक 15.07.2024) (संलग्नक – 2) के द्वारा भी परामर्श देने का अनुरोध किया जिस पर विधि परामर्शी महोदय के द्वारा अंकित किया गया है कि विधि परामर्श विभागीय संचिका पर ही दिया जा सकता है। तत्पश्चात डा0 राय (निदेशक प्रमुख प्रशासन) ने डा0 राय (तत्कालीन निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना) को पत्रांक 45 (नि0प्र0प्र0 कोषांग) दिनांक 16.07.2024 (संलग्नक 3) के माध्यम से एक पत्र लिखा जिसमें उन्होनें विधि परामर्शी के वाक्य को पुनः अंकित कर दिया।

तत्पश्चात् डा राय ने अपने कार्यालय पत्रांक 1623 दिनांक 16.07.2024 (संलग्न – 4) के माध्यम से श्री मदन कुमार, पैनेल एडवोकेट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना से भी विधिसम्मत् परामर्श देने हेतु अनुरोध किया जबकि श्री कुमार इसके लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

24.10.24

उपरोक्त से स्पष्ट है कि डा0 राय ने, चूंकि वे 31.07.224 को सेवा निवृत होने वाले थे, जल्दबाजी में विधि परामर्श के विकल्प को दर–किनार करते हुए निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

2. डा0 राय के द्वारा दिनांक 25.06.2024 को निविदा का विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया (संलग्नक 5)।दिनांक 29.06.2024 को कार्यालय ज्ञापांक 1453 (संलग्नक 6) के द्वारा एक शुद्धि पत्र निर्गत किया गया जो निम्नवत् है लेकिन इसे दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया।

1. निविदा के पेज संख्या 09 पर तकनीकी निविदा प्रारूप के क्रमांक 10 पर Solvency Certificate अंकित है जिसे 4,00,000/– पढ़ा जाय।
2. निविदा के पेज संख्या 09 पर तकनीकी निविदा प्रारुप के क्रमांक 11 पर Current Account Statement वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का जमा करना होगा।
3. निविदा के पेज संख्या 1 पर क्रमांक 16, 17, 18 एवं 19 पर संस्था के सभी पद के पदधारक एवं सदस्यों का अंकित है जिसे शुद्ध रूप से संस्था के प्रोपराइटर का पढ़ा एवं समझा जाय।
4. निविदा के पेज संख्या 10 पर क्रमांक 20 जोड़ा गया – बिहार विद्युत शुल्क एक्ट 1948 के अधीन निबंधन प्रमाण – पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदा के पेज संख्या 05 पर क्रमांक 14 में संस्था द्वारा एक वर्ष में जमा किए गए जी0एस0टी0 की रसीद/Aknowladgement पढ़ा जाय।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शुद्धि पत्र क्रमांक 01 में वर्णित है कि निविदा की पृष्ठ संख्या– 09 पर तकनीकी निविदा के प्रारूप क्रमांक 10 पर Solvency Certificate अंकित है जिसे 4,00,000/– (चार लाख रूपये मात्र) पढ़ा जाय लेकिन संबंधित संचिका में संधारित निविदा शर्त्त के पृष्ठ– 09 पर इसका उल्लेख ही नहीं है। हालांकि निविदा शर्त्त की कंडिका 01 एवं उपकंडिका 09 में पूर्व से ही रू0 4,00,000/– (चार लाख रूपये मात्र) को Solvency Certificate संलग्न करने का उल्लेख किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निविदा शर्त्त के पृष्ठांकन में भी लोप परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए पृष्ठों 01 के बाद पृष्ठ पृष्ठांकन नहीं किया गया है उसी प्रकार पृष्ठ 03 बाद पृष्टों का पृष्ठांकन नहीं किया गया है। पुनः पृष्ठ 06 के बाद लगातार पृष्ठ 12 तक पृष्ठांकन (संलग्नक 7) है।

3. प्रासंगिक निविद प्रक्रिया हेतु निविदा निर्धारण समिति में कुल 10 (दस) सदस्य एवं 01 (एक) का अध्यक्ष नामित थे। इस प्रकार निविदा निर्धारण समिति में कुल हस्ताक्षरित सदस्यों की संख्या 11 (ग्यारह) थी, अतः निविदा का अनुमोदन न्यूनतम 06 (छः) सदस्यों का किया जाना चाहिए था किंतु संबंधित अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तकनीकि एवं वित्तीय निविदा विवरणियों पर अध्यक्ष (कार्यकारी निदेशक) के अतिरिक्त मात्र 04 (चार) सदस्यों का हस्ताक्षर ही अंकित (संलग्नक 8) है।
4. निविदा प्रक्रिया में चयनित एजेंसी BEYOND AUTHENTIC HOSPITALITY, 502, Majestic Triveni Apartment, Vijay Nagar, Patna-800014 के द्वारा निविदा शर्त्त के प्रतिकूल निविदा शर्त्त की कंडिका क एवं उपकंडिका 12, 13 एवं 14 संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं किये गए है। इनके द्वारा विहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 के अधीन जो निबंधन प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है। साथ हीं इनके द्वारा जो शपथ पत्र जमा किया गया है वह भी निर्धारित विहित प्रपत्र में नहीं था। इसी प्रकार M/S अमित कुमार के द्वारा भी निविदा

24/10/24

बिहार सरकार
कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना– 800023
Email Id –lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.-9470003586 Website - http://lnjporthohospital.org

शर्त्त की कंडिका क एवं उपकंडिका 12, 13 एवं 14 की अवहेलना की गयी है। इनके द्वारा भी निर्धारित विहित प्रपत्र में शपथ पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

5. निविदा शर्त्त की कंडिका एवं उपकंडिका 03, 04, 05 एवं निविदा शर्त्त के नोट खंड के अंतर्गत बार–बार निदेशित किए गए हैं कि यदि तकनीकि निविदा में किसी भी प्रकार की त्रूटि पाई जाती है या वांछित अभिलेख संलग्न नहीं किए जाते है या विहित प्रपत्र में परिवर्त्तन किया जाता है तो उनकी तकनीकि निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी एवं वित्तीय निविदा तभी खोली जाएगी जब तकनीकि नियमानुकूल होगी।

उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि डा0 राय के द्वारा निविदा प्रक्रिया त्रूटीपूर्ण रहने के बावजूद जल्दीबाजी में बिना विभागीय मार्ग दर्शन प्राप्त किए उसे सेवा निवृति की तिथि तक येन–केन प्रकेरेण पूरा कर लिया गया।

उक्त स्थिति में निविदा प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त अभिलेखों की छाया–प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रासंगिक निविदा प्रक्रिया का विधिक विश्लेषण कराते हुए नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्यवाई करने के लिए मार्गदर्शन देने की कृपा की जाय।

अनु : यथोक्त।

विश्वासभाजन
Sandha 24-10-24
निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

ज्ञापांक :– 12609 दिनांक :– 24/10/2024 2024ई0

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थप्रेषित।

Sandha 24.10.24.
निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।
24/10/24.